



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 619]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 844(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 दिसंबर, 2016 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1152 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 2016 द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षातुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित करते हुए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 16 दिसंबर, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतू पशु दुकान) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ख) “पशु कल्याण संगठन” से बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन अभिप्रेत है;

(ग) “प्रजनक” से कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का ऐसा समूह जो प्रजनन और विक्रय के लिए पालतू पशु रखता है और इसके अंतर्गत भोजनालय युक्त कुत्ताघर प्रचालक, मध्यवर्ती संचालक और व्यापारी भी हैं;

(घ) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(ङ.) "फार्म" से प्रथम अनुसूची में अंतर्विष्ट फार्म अभिप्रेत है;

(च) "शिथिलांग पशु" से ऐसा कोई पशु अभिप्रेत है जो जन्म से या जन्म के पश्चात् हुई किसी क्रियात्मक या शारीरिक विकार, दोष या निर्योग्यता या किसी कमी से ग्रस्त है;

(छ) "निरीक्षक" से राज्य पशु कल्याण बोर्ड या एस पी सी ए द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत राज्य सरकार का पशु चिकित्सक अभिप्रेत है;

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो पालतू पशु दुकानदार या प्रजनक है या रहा है या पालतू पशु दुकानदार या प्रजनक से संबंधित है इन नियमों के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त या प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ;

(ज) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगर पालिका समिति, एस पी सी ए या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसमें किसी विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का नियंत्रण और प्रशासन विधि द्वारा तत्समय निहित है;

(झ) "अंग विच्छेदन" से किसी पशु को किसी शल्य चिकित्सा या प्रक्रिया जैसे कर्ण कटाई, दुम कटाई या दाहांकन या किसी दोष या विकार सिवाय आरोग्यकारी शल्य चिकित्सा के अन्यथा शल्य चिकित्सा या प्रक्रिया करना अभिप्रेत है ;

(ञ) "पालतू पशु" के अंतर्गत कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, गिन्नी पिग, हैमस्टर, मूसक या चूहिया प्रवर्ग के कृतंक तथा पिंजरबंद पक्षी भी हैं, और ऐसे अन्य पशु जिनका स्वामित्व और उनका व्यापार जिसे किसी अन्य विधि नियम या विनियमों द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है ;

(ट) "पालतू पशु दुकान" से ऐसी दुकान, स्थान या परिसर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत साप्ताहिक या अन्य बाजार में कोई ऐसी दुकान, स्थान या परिसर भी है जहां पालतू पशुओं का विक्रय किया जाता है या उन्हें घर में रखा जाता है, विक्रय के लिए रखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या जहां पालतू पशुओं के विक्रय या व्यापार वाले किसी खुदरे या थोक विक्रय कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसे ऑनलाइन प्लेटफार्म भी हैं जिन पर, जहां कहीं संदर्भ अनुज्ञा देता है वहां पालतू पशुओं का विक्रय और क्रय किया जाता है;

(ठ) "पालतू पशु दुकान स्वामी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके स्वामित्व में कोई पालतू पशु दुकान है या जिस पर उसका नियंत्रण है;

(ड) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) "एस पी सी ए" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण संबंधी किसी जिले में स्थापित सोसाइटी अभिप्रेत है ;

(ण) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(त) "स्तन्यपानी पशु" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे पशु की संतान जिसने वह आयु प्राप्त कर ली है जिस पर यह प्रसामान्यतः भोजन, गर्माहट और सुरक्षा जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वतंत्र जीने का कौशल प्राप्त करते हैं; और

(ii) आठ सप्ताह से कम आयु के बिलौटे और पिल्ले तथा परिपक्व उड्डयन पिच्छ रहित पिंजरबंध पक्षी ।

(थ) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के उपाबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त सभी निबंधन और पदों का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

3. रजिस्ट्रीकरण के बिना पालतू पशु दुकानों के प्रचालन का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति इन नियमों के अनुसार प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना,—

(क) पालतू पशुओं के विक्रय का कारबार या व्यापार, चाहे वह खुदरा या थोक में हो, नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा ; या

(ख) पालतू पशुओं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के विक्रय, क्रय या विनिमय में लगी किसी पालतू पशु दुकान या अन्य स्थापन को स्थापित या प्रचालित नहीं करेगा :

परंतु इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को पालतू पशु दुकान प्रचालित करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ के साठ दिन के भीतर इन नियमों के अधीन पालतू पशु दुकान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि यदि पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति साठ दिन की ऐसी अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है या इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी कारण से रजिस्ट्रीकरण के लिए वंचित कर दिया जाता है तो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी राज्य बोर्ड या सोसाइटी दुकान को सीलबंद कर देगा और विक्रय के लिए प्रदर्शित या आवासित पालतू पशुओं का समग्रहण करेगा और इस प्रकार समग्रहण किए गए पालतू पशुओं को अधिनियम की धारा 29 के उपबंधों के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा उपयुक्त समझे गए व्यक्ति को सौंपेगा तथापि ऐसे साठ दिवस की अवधि या उस तारीख जिसको रजिस्ट्रीकरण रद्द किया गया है की समाप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि का नोटिस पालतू पशु की जक्ति से पहले पालतू पशु दुकानदार को दिया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पालतू पशु दुकान रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को पालतू पशु दुकान में प्रमुखतः प्रदर्शित करेगी ।

(3) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण संबंधी राज्य बोर्ड या सोसाइटी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखेगा ।

4. पालतू पशु दुकान का रजिस्ट्रीकरण—(1) कोई व्यक्ति, इन नियमों के अधीन पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि,—

(क) व्यष्टिक के मामले में, वह प्राप्तवय न हो गया हो और स्वस्थ चित का न हो तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संविदा करने से निरहित न कर दिया गया हो ;

(ख) किसी अन्य मामले में, व्यक्ति कोई निगम, कंपनी या व्यक्तियों का अन्य संगम है, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत न किया गया हो ।

(2) पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 1 में उसमें अपेक्षित जानकारी देते हुए और पांच सौ रुपए की अप्रतिदेय फीस के साथ राज्य बोर्ड को किया जाएगा ।

(3) व्यक्ति से पालतू पशुओं के विक्रय के कारबार या उनके व्यापार को करने या जारी रखने के लिए चाहे वह खुदरा हो या थोक विक्रय के लिए प्रयोग किए जा रहे या प्रयोग किए जाने के लिए आशयित प्रत्येक पालतू पशु दुकान या परिसरों के लिए पृथक् आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(4) पालतू पशु दुकान का स्वामी उपनियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ यह उपदर्शित करते हुए कि पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी शर्तें पूरी की जा चुकी हैं, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ।

(5) राज्य बोर्ड, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, पालतू पशु दुकान को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा और पालतू पशु दुकान के संबंध में आवेदक को प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा तथा राज्य बोर्ड प्ररूप 3 में रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के रजिस्टर का रखरखाव करेगा ।

(6) राज्य बोर्ड, उपनियम (5) के अधीन पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् तीन माह के भीतर राज्य सरकार के प्राधिकृत पशु चिकित्सक द्वारा पालतू पशु दुकान का निरीक्षण कराएगा ।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट पशु चिकित्सक निरीक्षण करने के पश्चात् राज्य बोर्ड को हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(8) राज्य बोर्ड पशु चिकित्सा की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान होने पर कि पालतू पशु दुकान इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, पालतू पशु दुकान का रजिस्ट्रीकरण जारी रख सकेगा ।

(9) राज्य बोर्ड, पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण को अनुज्ञात नहीं करेगा, यदि,—

(क) आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मिथ्या पाई गई है या आवेदक ने आवेदन में तात्विक और जानबूझकर मिथ्या कथन किया है या राज्य बोर्ड को मिथ्या या कूटरचित अभिलेख उपलब्ध कराए हैं; या

(ख) आवेदक पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन के प्रस्तुतीकरण से पहले किसी प्रक्रम पर इस अधिनियम या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन किसी अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं से संबंधित किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या

(ग) आवेदक ने निरीक्षक या राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि को उसकी केन्द्रों तक निर्बाध और अबाधित पहुंच को अनुज्ञात करने के लिए इंकार कर दिया है; या

(घ) आवेदक, पालतू पशु दुकान की विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के बिना प्रचालित कर रहा था और अपनी दुकान के सीलबंद किए जाने के परिणामस्वरूप उसके लिए आवेदन करने में असफल हुआ है।

(10) जहां राज्य बोर्ड, पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण को अनुज्ञात नहीं करता है, वहां राज्य बोर्ड आवेदक को राज्य बोर्ड द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीस दिवसों के भीतर उसके लिखित में कारण सूचित करेगा।

(11) राज्य बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा और राज्य बोर्ड को आवेदन किए जाने पर पांच हजार रुपए की फीस के साथ उसका नवीकरण कर सकेगा।

(12) इन नियमों के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय होगा।

(13) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित व्यक्तियों से इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से संचालित पशु आश्रय या बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत पशु कल्याण संगठन;

(ख) कोई अन्य सुविधा या स्थापन जो पशुओं के कल्याण के लिए संचालित है और किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप जैसे कि पशुओं के विक्रय या क्रय में सम्मिलित नहीं है;

(ग) पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए समिति (सीपीसीएसईए) के साथ रजिस्ट्रीकृत और पशुओं पर प्रयोग, प्रजनन और व्यापार के प्रायोजन के लिए समय-समय पर यथासंशोधित पशुओं का प्रजनन और प्रयोग (नियंत्रण और पर्यवेक्षण) नियम, 1998 के विस्तार के अधीन आने वाले स्थापन को इन नियमों से छूट दी जाएगी।

5. रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण—पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदक, राज्य बोर्ड को प्ररूप। में रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले किया जाएगा और नियम 4 के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

6. आवास, संरचना और आवासन—(1) पालतू पशु दुकान स्थायी संरचना या भवन में अवस्थित होगी जिसमें जल और बिजली जैसी मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था तथा पर्याप्त विद्युत बैकअप होगा।

(2) किसी व्यक्ति को झोंपड़ी, कुटी, पटरी या किसी अस्थायी या काम चलाऊ इंतजाम पर पालतू पशु दुकान चलाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) पालतू पशु दुकान में बाड़ा या कक्ष या खगालय जिसमें पालतू पशुओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, दूसरी अनुसूची में यथा उपवर्णित पर्याप्त आकार और स्थान के होंगे जिससे,—

(क) उसमें रखे गए पालतू पशुओं को खड़ा किया, बैठाया, लेटाया, चारों तरफ धुमाया, पैर फैला कर बैठाया जा सके और जगह की कमी के कारण हुई अड़चन, व्यवधान या रुकावट के बिना अन्य सामान्य धमिमा समायोजन किए जा सकें।

(ख) पक्षियों को भीतर ही उड़ाया, फुदकाया, कुदाया, चड़ाया और अन्यथा चलाया जा सके और अलग अलग उनके पंखों को फैलाया जा सके तथा जगह की कमी के कारण हुई अड़चन, व्यवधान या रुकावट के बिना सामान्य स्थिति में बैठाया जा सके तथा जल पक्षियों द्वारा जल क्रीडा करने के लिए पानी की कुंडियों का उपबंध किया जाएगा।

(4) विक्रय के लिए पालतू पशुओं का प्रदर्शन या आवासन के लिए बाड़े या कक्ष का फर्श इस प्रकार संनिर्मित किए जाएंगे कि पशुओं के पैरों या टांगों को कोई चोट न पहुंचे या उन्हें कोई अन्य चोट न पहुंचे तथापि जाली का फर्श प्रयोग किया जाता है तो एक ट्रे डेर लगने की दशा में पिंजरे में जैविक पदार्थ गिरने से बचाने के लिए लगाई जाएगी।

(5) बाड़ों या कक्षों या खगालयों में जिनमें पालतू पशुओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, में तापमान आरामदेह होगा जो पशु दर पशु और नस्ल दर नस्ल परिवर्तनशील हो सकेगा और पालतू पशु दुकान के स्वामी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उन

नस्लों या प्रजातियों की अपेक्षाओं से स्वयं सुविज्ञ रहे कि जिनका वह व्यापार करने का आशय रखता है और उनके लिए परिवेशी तथा आरामदेह तापमान की व्यवस्था करे।

(6) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी, पालतू पशु दुकान में और त्रिशिष्टतया बाड़ों, जिनमें पालतू पशुओं को विक्रय के लिए प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, में उपयुक्त अपवाह या सफाई करते समय अपशिष्ट या जल को शीघ्रतया निष्कासित करने के ढंग की व्यवस्था करेगा।

(7) विक्रय के लिए पालतू पशु को प्रदर्शित करने या रखने वाली प्रत्येक पालतू पशु दुकान—

(क) पर्याप्त रूप से संवातित होगी और उसमें अल्प ध्वनि निर्वातक पंखा या प्रणाली संस्थापित होगी।

(ख) ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होगी और उन क्षेत्रों जहां ऊंचा शोर सुना जा सकता है या उत्सर्जित विषैला धुंआ या दुर्गंध जिनके अंतर्गत कारखाने भी हैं और अन्य वैसे ही औद्योगिक स्थापन के समीपस्थ नहीं होगी;

(ग) पशु वधशालाओं, या बूचड़खानों या कसाईखानों के आसपास सौ मीटर के भीतर अवस्थित नहीं होगी और ऐसे अन्य पशुओं का प्रवेश जो पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए रखे गए या प्रदर्शित किए गए पालतू पशुओं को तंग करे या हानि पहुंचाए, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(घ) पालतू पशु दुकान में धुंआ संसूचन और अग्निशमन उपस्कर लगा होगा तथा उपलब्ध होगा और उपयोग के लिए तैयार होगी।

(ङ.) कोई ऐसा एकांत या करंतीन क्षेत्र जहां पालतू पशुओं को सांसारिक बीमारी से संक्रमित हुए हैं या संक्रमित होने का संदेह है, विक्रय के लिए आशयित शेष पशुओं से अलग किया जा सकता है।

7. पशुओं की साधारण देखभाल, पशु चिकित्सीय देखभाल और अन्य संक्रियात्मक अपेक्षाएं—(1) प्रत्येक पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि पालतू पशुओं को आवास और परिवेश, आकार, तापमान, प्रकाश, संवातन तथा अन्य वैसे ही मानकों के संबंध में उनकी प्रजातियों के लिए अनुकूल पर्यावरण में विक्रय के लिए सभी समयों पर प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है और कोई पालतू पशु या पक्षी पालतू पशु दुकानों पर या उनके बाहर या प्रदर्शन खिड़की में प्रदर्शन के लिए नहीं रखा जाएगा या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि,—

(क) विक्रय के लिए आशयित पालतू पशुओं की आहार संबंधी अपेक्षाओं और आयु से संगत किस्म का पर्याप्त भोजन उन्हें दिया जाता है;

(ख) सभी समयों पर विक्रय के लिए आशयित पालतू पशुओं हेतु स्वच्छ पेय जल उपलब्ध है;

(ग) पालतू पशुओं को भोजन कराने तथा जल पिलाने के लिए प्रयुक्त आधानों को साफ और विष्ठा या मूत्र के संदूषण में मुक्त रखा जाता है;

(घ) ऐसे बाड़ों या कक्षों या खगालयों को जिनमें विक्रय के लिए पालतू पशुओं को प्रदर्शित किया जाता है या रखा जाता है, प्रायः प्रतिदिन या उससे अधिक तब साफ रखा जाता है जब विष्ठा या अन्य अवशिष्ट से मैला हो जाता और बीमारी के प्रकोपन की संभावना को रोकने के लिए बारम्बार विसंक्रमित होना पाया जाता है;

(ङ.) जहां आवास में ऊपर तल कतारबद्ध प्रणाली है वहां जल, भोजन और अन्य पातन को निम्नतर आवासन में प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा;

(च) पशु बाड़ों से भोजन अपशिष्ट, पशु विष्ठा प्रयुक्त बिस्तर, मलबा और कोई अन्य जैविक अपशिष्ट प्रतिदिन या अवधि बारम्बार हटाया जाता है;

(छ) पक्षियों के अपशिष्ट या उनके खाने से बचे हुए भोजन को ढेर लगने से रोकने के लिए खगशालाओं को प्रतिदिन या उससे अधिक बारम्बार साफ किया जाता है;

(ज) उन बाड़ों या कक्षों या खगशालाओं जिनमें विक्रय के लिए पालतू पशुओं को प्रदर्शित या रखा जाता है ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने या आरामदेह ढंग से विश्राम करने में उन्हें समर्थ बनाते हैं तथा बिस्तर सामग्री की अपेक्षा करनेवाले पालतू पशुओं को उन्हें प्रदान किया जाता है और बिस्तर में कोई चारा नहीं डालने दिया जाता है;

(झ) उसी बाड़े में प्रदर्शित किए गए या रखे गए सभी पालतू पशु एक ही प्रजाति और आयु समूह के होते हैं और उन्हें ऐसी रीति में समूहीकृत किया जाता है जो संगम या भयभीत करने तथा लड़ने को प्रतिवारित करती है;

(ब) पालतू पशुओं, जो एक दूसरे के प्रति विद्वेष रखते हैं, संसक्त बाड़ों में प्रदर्शित नहीं किया जाता है या नहीं रखा जाता है और कुत्ते तथा बिल्लियों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तथा पक्षियों, खरगोशों, गिन्नी पिगों, हैमिस्टर, कृतकों को कुत्तों और बिल्लियों के समीप नहीं रखा जाता है क्योंकि वे अत्यधिक कष्टकारित कर सकते हैं ;

(ट) केवल स्वस्थ पालतू पशु, जिन्हें पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसा होने के लिए लिखित में प्रमाणित किया गया है, पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए प्रस्थापित किए जाते हैं; और

(ठ) विक्रय के लिए पालतू पशुओं को रात में उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त परिचरों की संख्या के बिना पालतू पशु, दुकान में नहीं छोड़ा जाएगा ।

(3) पालतू पशु, दुकान में विक्रय के लिए स्तन्यपानी पशु तरुण की देखभाल करने वाले गर्भिणी पशुओं या मादाओं या विक्रय के लिए पुनः प्रस्थापित करने हेतु प्रदर्शित या आवासित नहीं करेगी ।

(4) कोई पालतू पशु दुकान ऐसे कीटों या पशुओं की कुछ प्रजातियों जो मानव उपभोग के लिए प्रयोग नहीं किए जाते हैं किंतु अन्य पशुओं के भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, के सिवाय भोजन, चमड़ी तथा उत्पादनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आशयित किसी पशु का विक्रय नहीं करेगी ।

(5) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी—

(क) केवल ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करेगा जिन्हें पालतू पशुओं को संभालने या उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो अविकृत चित्त का है या जो आक्रामक या असामान्य व्यवहार के लक्षणों का है या जिसका स्वभाव पशुओं के साथ काम करने के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं होता है ; और

(ख) पालतू पशु दुकान में पालतू पशुओं को उचित रूप से देखभाल करने और उनकी सेवा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद नियोजित करेगा ।

(6) प्रत्येक पालतू पशु स्वामी पशु चिकित्सा देखभाल, जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखभाल भी है, के लिए व्यवस्था करेगा और पशु चिकित्सा व्यवसायी की आपात संपर्क सूत्र को पालतू पशु दुकान में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा जिससे कि पालतू पशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में कर्मचारियों और ग्राहकों को अपनी समस्याओं के साथ प्रकेन्द्र पर पशु चिकित्सा व्यवसायी तक पहुंचाया जा सके ।

(7) पालतू पशु दुकान स्वामी किसी जुनोटिक या सांसारिक बीमारी या संकर्मक के प्रकोप या आशंकित प्रकोप की तुरंत पशु पालन के लिए उत्तरदायी स्थानीय प्राधिकारी, एस.पी.सी.ए. राज्य बोर्ड और राज्य सरकार के विभाग को तुरंत रिपोर्ट करेगा ।

(8) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी, रुग्ण या बीमार पालतू पशुओं या रुग्ण या बीमार होने की आशंका वाले पालतू पशुओं या नए लाए गए पालतू पशुओं को पृथक् करने के लिए कम से कम एक कक्ष या बाड़ा प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि—

(क) संगरोधित रुग्ण या बीमार पालतू पशुओं को नए लाए गए पालतू पशुओं के साथ नहीं रखा जाता है;

(ख) संगरोध या एकांतवास केन्द्र को संगरोधित या पृथक् किए गए पालतू पशुओं को वहां से हटाए जाने के पश्चात् और अतिरिक्त पालतू पशुओं के कक्ष में रखे जाने से पूर्व पूर्णतः विसंक्रमित किया जाता है;

(ग) संगरोध या एकांतवास केन्द्र में प्रयोग किए गए उपस्कर और आधानों को पृथक् और सुभिन्नतः रखा जाता है ।

(9) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई ऐसा पालतू पशु जो असाध्य रूप से बीमार है या मरणांत रूप से बीमार है या घातक रूप से घायल हो जाता है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् द्वारा विहित रीति में उसे पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सुख मृत्यु दी जाती है और ऐसे मामलों का अभिलेख रखा जाएगा तथा ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट राज्य बोर्ड को दी जाती है ।

(10) प्रत्येक पालतू पशु दुकान में ऐसे पालतू पशुओं के शवों के निपटान करने का इंतजाम होगा जिनकी केंद्र में मृत्यु हो जाती है और मृत पशुओं को अन्य पालतू पशुओं की दृष्टि से शीघ्रतया हटा लिया जाएगा ।

(11) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी पालतू पशु दुकान में केंद्र को चलाने के लिए उसको प्रदान की गई अनुज्ञप्ति को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा ।

(12) पालतू पशुओं की प्रजाति तथा संख्या और कीमतों जिनके लिए उन्हें विक्रय हेतु प्रस्थापित किया जाता है ।

(13) प्रत्येक विक्रय किए गए पशु के लिए प्ररूप 4 में रसीदें जारी की जाएंगी और प्रत्येक रसीद की प्रति पालतू पशु दुकान में रखी जाएगी ।

(14) किसी पालतू पशु दुकान में किसी भी रूप में अंग विच्छेदित पालतू पशुओं का विक्रय नहीं किया जाएगा तथापि आवश्यक उपचारात्मक शल्य चिकित्सा की पशु चिकित्सक के नुस्खे के आधार पर छूट होगी ।

(15) किसी पालतू पशु दुकान स्तन्यपानी पशु या अप्राप्तवय पशुओं या पक्षियों का विक्रय नहीं किया जाएगा।

(16) प्रत्येक पिल्ले पर पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा माइक्रोचिप लगाई जाएगी और प्रत्येक पालतू पशु दुकान में परिसर के भीतर एक क्रियात्मक माइक्रोचिप रीडर होगा तथा यह इन नियमों की ऐसी अपेक्षा है कि माइक्रोचिप लगे हुए पिल्लों का ही विक्रय किया जाएगा।

(17) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी के पास सोलह सप्ताह की आयु से अधिक के पिल्लों और पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक समुचित लिखित अभ्यास योजना प्रचलन में जो पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित होगी तथा वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसका कड़ाई से पालन किया जाता है।

(18) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी ऐसे पालतू पशु के जिसे उस समय से जब उसे पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए पहली बार प्रदर्शित किया गया था, तीन मास बीत जाने के बावजूद भी क्रेता नहीं मिला है, अंगीकरण करने या पुनः घर लाने को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा :

परंतु उस समय जब पालतू पशु दुकान में अविक्रीत पशुओं के अंगीकरण या पुनः घर लाने की सभी विशिष्टियां, पालतू पशुओं की दुकान में रखे जाने वाले रजिस्ट्र में प्रविष्ट की जाएगी :

परंतु यह और कि पालतू पशु दुकान स्वामी गली में या अन्यथा अविक्रीत पालतू पशु को परित्यक्त नहीं करेगा या उसका त्याग नहीं करेगा।

(19) यदि पालतू पशु दुकान स्वामी खरहरा सेवाओं का उपबंध करने का आशय रखता है तो उसे अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया जाएगा तथा खरहरा क्षेत्र को वस्तुतः प्राथमिक पशु बाड़ों और पशु चारा भंडारण क्षेत्रों से पृथक् किया जाएगा।

(20) विक्रय के लिए आशयित किसी या सभी चीजों, चाहे फुटकर या थोक विक्रय में हों जिनके अंतर्गत पालतू पशु उत्पाद और उपसाधन भी हैं, को पालतू पशु दुकान के भीतर पशु क्षेत्रों में विक्रय के लिए भंडारित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

(21) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी देखभाल की डिग्री और रीति के बारे में तथा क्रय की जा रहे पालतू पशुओं के लक्षणों तथा व्यवहारात्मक पैटर्नों के बारे में पालतू पशु देखभाल पत्रक या अन्य वैसे ही लिखित अनुदेश क्रय करने के समय प्रभार रहित ग्राहकों को उपलब्ध कराएगा।

(22) किसी पालतू पशु दुकान में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है, कोई पालतू पशु विक्रय नहीं किया जाएगा।

(23) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी या पालतू पशु व्यापार में अंतर्गलित कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि वे उनकी देखभाल और उनकी अभिरक्षा में पशुओं के आवासन, रखरखाव और अनुरक्षण में अधिकतम देखभाल की व्यवस्था करते हैं और वे उनकी अग्नि दुर्घटना अन्य पशुओं से आक्रमण या अन्य खतरनाक घटनाओं से उनकी संरक्षा करने के लिए सभी आवश्यक पूर्व सावधानियां बरतेगा।

(24) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी पालतू पशु दुकान में प्रत्येक पशु की जांच करने के लिए पशु चिकित्सा व्यवसायी रखेगा और प्रत्येक मास में या ऐसे किसी समय में जो रुग्णता के किसी लक्षण के दिखाई देने पर पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा यथा सूचित आरोग्य प्रमाण पत्र देगा।

(25) कोई पालतू पशु दुकान बिना अनुज्ञप्त प्राप्त प्रजनक से प्राप्त किए गए किसी पालतू पशु का विक्रय तब तक नहीं करेगी जब तक कि प्रजनक प्रवृत्त सुसंगत नियमों की अपेक्षानुसार रजिस्ट्रीकृत न हो।

(26) पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा स्वास्थ्य रिकार्ड, जिसके अंतर्गत टीकाकरण के ब्यौरे भी हैं, रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।

8. अभिलेखों का अनुरक्षण—(1) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी अभिलेख पुस्तिका में इस अनुसूची से उपलब्ध प्ररूप-5 में विक्रय के लिए आशयित पालतू पशुओं के प्रजनकों और प्रदायकर्ताओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत प्राप्त किए गए पालतू पशुओं का नाम, पता, संपर्क ब्यौरे और संब्यवहार की तारीख और उनकी संख्या, उनकी नस्ल या प्रजातियों तथा पक्षी पर पट्टे, संख्या, यदि कोई हो, भी है, रखी जाएगी।

(2) पालतू पशु स्वामी, उसे पालतू पशु क्रय करने वाले ग्राहकों का अभिलेख प्ररूप-6 में एक अभिलेख पुस्तिका में रखेगा, जिसमें क्रय किए गए पालतू पशुओं के नाम, पते, संपर्क ब्यौरे और उनके ब्यौरे तथा वह कीमत, जिन पर उन्हें क्रय किया गया है, और जारी की गई रसीद होगी।

(3) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी उन पालतू पशुओं का अभिलेख प्ररूप-7 में रखेगा, जिनकी पालतू पशु दुकान में मृत्यु हो जाती है, जिसमें मृत्यु का दिन, तारीख और समय तथा पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित मृत्यु का कारण और चिकित्सा देखभाल के ब्यौरे

और किसी पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा लिखित में प्रमाणित मृत पालतू पशु का उसकी मृत्यु से पूर्व उसे प्रदान की गई देखरेख तथा पशु शवों के निपटान की रीति का अभिलेख रखेगा।

(4) प्रत्येक पालतू पशु दुकान स्वामी असाध्य, रग्ण या मरणोत्तर रूप से बीमार या घातक रूप से घायल ऐसे पालतू पशु, जिन्हें सुख मृत्यु दी गई है, का पृथक अभिलेख प्ररूप-8 में रखेगा, जिसमें पशु चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित दिन, तारीख और मृत्यु का समय तथा मृत्यु का कारण और चिकित्सा देखभाल के व्यौरे तथा मृत पालतू पशु को उसकी मृत्यु से पूर्व प्रदान की गई देखभाल और पशु शवों के निपटान की रीति होगी।

(5) इन नियमों के अधीन रखे गए अभिलेख राज्य बोर्ड या किसी आशयित क्रेता द्वारा निरीक्षण के लिए पालतू पशु दुकान में उपलब्ध होंगे।

9. नियमों का अननुपालन—(1) राज्य बोर्ड, लिखित परिवाद के प्राप्त हो जाने पर या अन्यथा, पालतू पशु दुकान स्वामियों द्वारा इन नियमों के किसी अननुपालन की जांच कर सकेगा या स्थानीय प्राधिकारी या एस.पी.सी.ए. द्वारा जांच की गई लिखित में परिवाद को प्राप्त कर सकेगा।

(2) यदि निरीक्षण के दौरान, किसी पालतू पशु के बीमार होने की या किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव करने की आशंका है तो निरीक्षक या राज्य बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति खराब स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र देने के लिए पालतू पशु दुकान स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह बीमार पशु के लिए चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करे और पालतू पशु दुकान स्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निरीक्षण की तारीख के बाद सात दिन के भीतर स्वास्थ्य रिपोर्ट प्रस्तुत करे और सात दिन के पश्चात् यदि प्राधिकृत निरीक्षक या व्यक्ति मामले में प्रगति से संतुष्ट नहीं है, तो वह पालतू पशु का अधिहरण कर लेगा और उसे ऐसे कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् की ऐसी कार्यवाही आवश्यक है, और इस प्रकार अभिलिखित किए गए कारणों की एक प्रति पालतू पशु दुकान स्वामी और पशु कल्याण संगठन को देने के पश्चात् समुचित आवास सुविधा वाले बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पशु कल्याण संगठन द्वारा संचालित आश्रय गृह को उपचार तथा देखभाल के लिए हटवाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पालतू पशु का उपचार करने तथा उनकी देखभाल करने के लिए उपगत व्यय पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा वहन किए जाएंगे और पशु कल्याण संगठन पशु को पालतू पशु दुकान स्वामी को पूर्णतः स्वस्थ होने के पश्चात् वापस लौटाएगा और उसके उपचार तथा उसे प्रदान की गई देखभाल के व्यय की पशु कल्याण संगठन को प्रतिपूर्ति कर दी गई है।

(4) पालतू पशु दुकान स्वामी इस नियम के अधीन बीमार या अन्यथा परेशान पालतू पशु के हटाए जाने की दशा में राज्य बोर्ड या पशु कल्याण संगठन से किसी प्रतिकर, जो भी हो, का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(5) यदि निरीक्षक द्वारा पालतू पशु दुकान के निरीक्षण के दौरान इन नियमों की अपेक्षाओं का कोई अन्य उल्लंघन पाया जाता है तो राज्य बोर्ड, पालतू पशु दुकान स्वामी को एक नोटिस, जिसके साथ इस नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर बोर्ड को कारण बताओं कि उसका रजिस्ट्रीकरण क्यों न रद्द कर दिया जाए, जारी करेगा।

(6) राज्य बोर्ड, यदि उसका पालतू पशु दुकान स्वामी के उत्तर से समाधान नहीं होता है या यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और लिखित में उसके कारणों को पालतू पशु दुकान स्वामी को संसूचित कर सकेगा।

(7) पालतू पशु दुकान को, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, राज्य बोर्ड द्वारा तब तक सील नहीं की जाएगी,—

(क) जब तक ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध अपील करने की अवधि समाप्त न हो गई हो; और

(ख) उस मामले में, जहां अपील की गई है और लंबित है, अपील के निपटारा किए जाने तक।

(8) जहां अपील नामंजूर कर दी गई है, वहां राज्य बोर्ड दुकान को सील कर सकेगा और विक्रय के लिए प्रदर्शित किए गए या रखे गए पशुओं को अधिहृत कर सकेगा तथा तब अधिहृत पशु के साथ उपनियम (5) में उपवर्णित रीति से व्यवहार किया जाएगा।

10. स्थापन का निरीक्षण—(1) राज्य बोर्ड, या तो परिवाद की प्राप्ति पर या किसी अन्य कारण से, किसी पालतू पशु दुकान का इस निमित्त उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत निरीक्षक को, अपना प्राधिकार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी,—

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर पालतू पशु दुकान में प्रवेश करने और स्थापन के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी पशुओं तथा अभिलेखों तक पहुंच रखने तथा यह अधिनिश्चित करने कि क्या इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है ;

(ख) अभिलेख की तस्वीर लेने, वीडियो रिकार्ड करने और उसकी प्रतियां बनाने।

(3) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पालतू पशु दुकान का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा।

(4) निरीक्षक, निरीक्षण की रिपोर्ट लिखित में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि राज्य बोर्ड, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, की यह राय है कि पालतू पशु दुकान स्वामी द्वारा इन नियमों की अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा का उल्लंघन किया गया है तो वह पालतू पशु दुकान स्वामी को रिपोर्ट की एक प्रति और कारण बताओं का अवसर देने के पश्चात् पालतू पशु दुकान स्वामी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा और उसे पालतू पशु दुकान स्वामी को लिखित में उसके कारणों को संसूचित कर सकेगा।

11. अपील—(1) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसाइटी (एसपीसीए) या राज्य बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई भी पालतू पशु दुकान स्वामी ऐसे विनिश्चय के तीस दिन के भीतर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी के विनिश्चय के विरुद्ध राज्य बोर्ड के समक्ष या राज्य बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध सचिव, पशुपालन, राज्य सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, राज्य बोर्ड, सचिव, पशुपालन, राज्य सरकार, पालतू पशु दुकान स्वामी को और यथास्थिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी या राज्य बोर्ड को सूचना देने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, अपील को उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं और पालतू पशु दुकान स्वामी और, यथास्थिति, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी या राज्य बोर्ड को संसूचित किए जाएं, अस्वीकार कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

12. पालतू पशु दुकान द्वारा रिपोर्टें—(1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक पालतू पशु दुकान, —

(क) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर राज्य बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय किए गए, व्यापार किए गए, अदला-बदली किए गए, दलाली किए गए, दान में दिए गए, चढ़ाए गए या प्रदर्शित किए गए या मारे गए या सुख मृत्यु दिए गए पशुओं की कुल संख्या के बारे में जानकारी होगी।

(ख) राज्य बोर्ड को ऐसी जानकारी, जिसकी, यथास्थिति, समय-समय पर अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगी ;

(2) राज्य बोर्ड, प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को भेजेगा जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय किए गए, व्यापार किए गए, अदला-बदली किए गए, चढ़ाए गए या प्रदर्शित किए गए पशुओं की संख्या के बारे में जानकारी होगी और ऐसी अन्य जानकारी होगी जो, यथास्थिति, समय-समय पर बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो।

13. इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पालतू पशु दुकान स्वामी की मृत्यु का प्रभाव—यदि इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत पालतू पशु दुकान स्वामी की रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो पालतू पशु दुकान के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण, पालतू पशु दुकान के सम्बन्ध में उसके विधिक वारिसों को प्रदान किया गया समझा जाएगा और वह स्वामी की मृत्यु की तारीख से तीन मास की अवधि की समाप्ति तक विधिमान्य रहेगा और उसके पश्चात् पालतू पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन पालतू पशु दुकान को चालू रखने के लिए इन नियमों के अनुसार किया जाएगा।

14. रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई अनुज्ञाति नहीं—किसी भी पालतू पशु दुकान को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक पालतू पशु दुकान ने इन नियमों के अनुसार राज्य बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो।

15. पशुओं और पक्षियों का आयात—पालतू पशु दुकान स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा प्रदायकर्ता, जो पक्षियों और पशुओं की आयातित विदेशी नस्लों का प्रदाय करता है, विदेश व्यापार महानिदेशक से सभी आवश्यक अनुमोदन या अनुज्ञाति या दोनों, प्रादेशिक या राज्य पशु करंतीन और प्रमाणन सेवाओं से स्वच्छता आयात अनुज्ञापत्र और अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् इन पशुओं का आयात कर रहा है और पालतू पशु दुकान स्वामी स्वयं अपना यह समाधान करेगा कि जीवित पशुओं का आयात विधिक और समुचित चैनलों के माध्यम से किया गया है।

16. पालतू पशु दुकानों से प्राप्त राजस्व का प्रबंध—रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण फीस के रूप में पालतू पशु दुकान से प्राप्त राजस्व का प्रबंध राज्य द्वारा इन नियमों को प्रवृत्त करने के लिए अपनी गतिविधियां चलाने के लिए किया जाएगा।

17. शक्तियों का प्रत्यायोजन —राज्य बोर्ड, लिखित में आदेश द्वारा, इन नियमों (नियम 11 और नियम 12 के अधीन के सिवाय) के अधीन पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण सोसाइटी (एसपीसीए) को अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी शक्ति और कृत्य का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

पहली अनुसूची

प्ररूप - 1

[नियम 4(2) और नियम 5 देखिए]

रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

सेवा में

राज्य पशु कल्याण बोर्ड,

.....

..... (जिले और राज्य का नाम) ।

विषय : पालतू पशु दुकान के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन ।

महोदय,

मैं/हम,, निवासी, कार्यालय पता सहित....., पालतू पशु दुकान का प्रचालन करने/प्रचालन जारी रखने के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-

1. पालतू पशु दुकान का नाम और पता :
2. पालतू पशु दुकान स्वामी का नाम और पता :
3. टेलीफोन नं० (लैंडलाइन और मोबाइल) :
4. फोटोग्राफ सहित प्रस्तावित पालतू पशु दुकान में उपलब्ध आवास और अवसंरचना के ब्यौरे :
5. कार्य के घंटे और विश्राम दिवस, अर्थात् वह दिन, जिसको दुकान बंद रहेगी :
6. संवातन व्यवस्था :
7. प्रकाश व्यवस्था :
8. धूम्र-अभिज्ञान और अग्निशमन व्यवस्था :
9. तापन या शीतन व्यवस्था तथा वह रीति, जिसमें सभी पालतू पशुओं के लिए आरामदेय तापमान बनाए रखा जाएगा :
10. विद्युत बैकअप व्यवस्था :
11. खाद्य भंडारण के लिए व्यवस्था :
12. स्वच्छता, किस प्रकार रख-रखाव करने का प्रस्ताव किया गया है और पशु विण्टा और अपशिष्ट के हटाए जाने की व्यवस्था :
13. उन पशुओं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, के निपटान के लिए व्यवस्था :
14. चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहायता की व्यवस्था :
15. पालतू पशु दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित किए जाने या रखे जाने के लिए प्रस्तावित पालतू पशुओं के ब्यौरे :
16. फीस के संदाय के लिए बैंक या डिमांड ड्राफ्ट नंबर के ब्यौरे :

(रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदनों में पूर्व वर्ष के लिए पूर्ण अभिलेखों से संबंधित अतिरिक्त सूचना दी जाए)

17. विक्रय के लिए उपलब्ध पालतू पशुओं की प्रजातियां और नस्ल तथा वह कीमत, जिस पर उन्हें विक्रय के लिए प्रस्थापित किया जाएगा :
18. विक्रय के लिए उपलब्ध प्रत्येक पालतू पशु की आयु :
19. पूर्व वर्ष में विक्रय किए गए पशुओं की संख्या, वह कीमत, जिस पर उनका विक्रय किया गया, जारी प्राप्ति की प्रतियां, पशु की मृत्यु का अभिलेख और इन नियमों की अपेक्षानुसार पशुओं (पालतू पशु) के प्रति क्रूरता निवारण नियम, 2018 के रखे जाने वाले अन्य सभी अभिलेख :

20. संपरीक्षित तुलनपत्र तथा लाभ और हानि लेखे :

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें दी गई जानकारी ठीक और सही है।

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप - 2

(नियम 3(1) और नियम 4(5) देखें)

पालतु पशु दुकान के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.....(आवेदक का नाम और पता) को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतु पशु दुकान) नियम, 2018 में यथाउपबंधित पालतु पशु दुकान स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
2. पालतु पशु दुकान का अवस्थान.....में है।
3. पालतु पशु दुकान स्वामी को निम्नलिखित पशुओं से सम्बन्धित कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है
.....
4. पालतु पशु दुकान स्वामी पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 और तद्दीन बनाए गए नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबंधों का पालन करेगा।
5. पालतु पशु स्वामी 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूर्वोक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उत्तरवर्ती वर्ष की 31 जनवरी से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास पहुंच जानी चाहिए।
6. पालतु पशु दुकान में प्रमाणपत्र प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
7. प्रमाणपत्र अहस्तांतरणीय है।
8. प्रमाणपत्र, इस प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से पांच वर्ष तक विधिमान्य होगा और नवीकरण आवेदन समाप्ति की तारीख से तीस दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य पशु कल्याण बोर्ड के

हस्ताक्षर और मुद्रा

तारीख :

प्ररूप - 3

[नियम 4(5) देखें]

पालतु पशु दुकानों को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रजिस्टर

क्र. सं.	आवेदक का नाम और पता	विक्रय किए जाने के लिए अनुज्ञात पालतु पशुओं की किस्म
1	2	3

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	टिप्पणियां
4	5	6

प्ररूप - 4

[नियम 7(13) देखें]

विक्रय किए गए पालतु पशुओं के लिए रसीद

1. पालतु पशु दुकान का नाम :
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख :
3. विक्रय किए गए पालतु पशुओं की किस्म :
 - (क) प्रवर्ग :
 - (ख) सामान्य नाम :
 - (ग) तकनीकी नाम :
 - (घ) नस्ल :
 - (ङ) आयु :
 - (च) टीकाकरण के ब्यौरे :
4. विक्रय रकम :
5. क्रेता का नाम और पता :
6. क्रेता का संपर्क नं. :

स्थान:

पालतु पशु दुकान स्वामी के हस्ताक्षर स्टांप/सील

तारीख:

टिप्पण: उपरोक्त प्रमाणपत्र दो प्रतियों में होगा, मूलप्रति क्रेता को तथा दूसरी प्रति पालतु पशु दुकान में रखी जाएगी।

प्ररूप 5

[नियम 8(1) देखें]

पालतु पशुओं के प्रजननकर्ताओं और प्रदायककर्ताओं का रजिस्टर

क्रम सं.	प्रजनक/प्रदायककर्ता का नाम और पता	संपर्क संख्या और ई-मेल	संव्यवहार की तारीख
1	2	3	4

पालतु पशु का वर्णन	पशु की आयु	टीकाकरण के ब्यौरे	टिप्पणी
5	6	7	8

प्ररूप 6

[नियम 8(2) देखें]

पालतू पशुओं के विक्रय का रजिस्टर

क्रम सं.	क्रेता का नाम और पता	संपर्क संख्या	विक्रय की रकम
1	2	3	4

विक्रीत पालतू का प्रकार						टिप्पणियां
प्रवर्ग	सामान्य नाम	तकनीकी नाम	तस्ल	आयु	टीकाकरण	
5	6	7	8	9	10	11

प्ररूप 7

[नियम 8(3) देखें]

पालतू पशु दुकान में मरने वाले पालतू पशुओं का रजिस्टर

क्रम सं.	पशु का नाम और वर्णन	पशु की मृत्यु की तारीख और समय	आयु
1	2	3	4

मृत्यु का समय	मृत्यु का कारण	प्रदत्त चिकित्सा उपचार	मृत्यु पशु का निपटान किस प्रकार किया गया	टिप्पणी
5	6	7	8	9

प्ररूप 8

[नियम 8(4) देखें]

उन पालतू पशुओं के ब्यारे का रजिस्टर जो ठीक न होने वाली रूग्णावस्था में हैं/रोग की अंतिम अवस्था में हैं/घायल होकर मृत्यु के निकट हैं

क्रम सं०	वह तारीख जब पशु ठीक न होने वाली रूग्णावस्था में/रोग की अंतिम अवस्था में/घायल होकर मृत्यु के निकट पहुंचा	पशु का नाम और वर्णन	आयु
1	2	3	4

मृत्यु का समय	मृत्यु का कारण	प्रदत्त चिकित्सा उपचार	मृत पशु का निपटान किस प्रकार किया गया	टिप्पण
5	6	7	8	9

दूसरी अनुसूची

[नियम 6(3) देखिए]

न्यूनतम स्थान अपेक्षाएं

1. पक्षियों के लिए—

(क) पक्षियों को बाड़े और लंबे-चौड़े खगालयों में रखा जाएगा।

- (ख) खगालय काफी बड़े होंगे, जिससे प्रत्येक पक्षी पूरे शरीर को फैला सके और काफी चौड़े होंगे, जिससे सभी के पूरे फैलाए हुए पंखों को आवासित किया जा सके तथा खगालय के भीतर वे सहज रूप से फुदक, उछल, चढ़ और उड़ सकें।
- (ग) प्रत्येक खगालय में सुव्यवस्थित पक्षिसाद की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर पक्षी किसी ऊपरी छत से सिर को उससे टकराए बिना और फर्श या जाली से पूंछ को छुए बिना सीधे खड़े हो सकते हैं तथा कुलिंग और चिड़ियां जैसी प्रजातियों के लिए, जो चढ़ने के बजाए उड़ना या उछलना पसंद करती हैं, पक्षिसाद ऐसी रीति में स्थित होंगे, जो ऐसा होने को अनुज्ञात करते हैं।
- (घ) पक्षिसाद सामरिक रूप से इस प्रकार रखे जाएंगे जिससे खाद्य और जल आद्यानों में रिसाव से होने वाले संदूषण को रोका जा सके।
- (ङ) ऐसे पक्षियों, जो मिलनसार समूहों में रहते हैं और उन्हें उस रूप में रखा जाता है, के खगालयों के भीतर काष्ठ निर्मित घोसलेदार बाक्स होने चाहिए।

2. बिल्लियों के लिए—

- (क) खुले बाड़े या खड़क का फर्श ठोस भूपृष्ठ का होगा और काफी बड़ा होगा जिससे सभी अधिभोगियों को अबाध संचलन और क्रीडा करने में समर्थ बनाया जा सके।
- (ख) बिल्लियों के लिए उत्थापित विश्राम भूपृष्ठ की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ग) चटाई की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (घ) बाड़े के भीतर नर्म और स्वच्छ क्रीडा खिलौनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ङ) कचरा बाक्स द्वारा घेरे गए स्थान को कुल क्षेत्र के परिकलन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (च) बिल्लियों और बिलौटों को एक ऐसे कक्ष में रखा जाएगा, जिसको कोई दूसरा विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे कुत्ते द्वारा सांझा नहीं किया जाता है।

3. कुत्तों के लिए—

पशुओं की संख्या

क्षेत्र (वर्ग फुट)	लघु (1-10 पौंड)	मध्यम (11-20 पौंड)	वृहद (21-30 पौंड)
24	3	2	1
48	6	3	2
72	10	4	3

- (क) खुले बाड़े या खड़क का फर्श ठोस भूपृष्ठ का होगा और काफी बड़ा होगा जिससे सभी अधिभोगियों को अबाध संचलन और क्रीडा करने में समर्थ बनाया जा सके।
- (ख) बाड़े या खड़क की ऊंचाई इतनी होगी कि कुत्ता या पिल्ला बचकर न निकल सके।
- (ग) तीस पौंड से अधिक वजन के कुत्तों के लिए न्यूनतम ऊंचाई और स्थान अपेक्षाएं व्यष्टिक आधार पर अवधारित की जाएगी और ऊपर विनिर्दिष्ट ऊंचाई और स्थान से अधिक होंगी।

4. खरगोशों के लिए---

पशुओं की संख्या

क्षेत्र (वर्ग फुट)	लघु (2 पाँड से कम)	मध्यम (2-4 पाँड)	बड़े (5-12 पाँड)
5	4	2	0
10	8	4	1
15	12	6	2

- (क) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 48 इंच होगी ।
- (ख) खरगोश के प्राथमिक बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी तथा यह टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृननिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस भूपृष्ठ का होगा, जिसमें खुदाई, चबाई और क्रीड़ा की व्यवस्था होगी ।
- (ग) खरगोशों को एक ऐसे कक्ष में रखा जाएगा, जिसको कोई दूसरा विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे बिल्लियों और कुत्तों द्वारा सांझा नहीं किया जाता है ।

5. गिन्ती पियों के लिए---

पशुओं की संख्या

क्षेत्र (वर्ग फुट)	तरुण (350 ग्राम से कम)	वयस्क (350 ग्राम से अधिक)
5	5	2
10	10	4
15	15	6

- (क) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 36 इंच होगी ।
- (ख) गिन्ती पिय के प्राथमिक बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी तथा यह टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृननिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस भूपृष्ठ का होगा ।
- (ग) गिन्ती पियों को अन्य विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा ।

6. हैमस्टरों के लिए---

प्रत्येक हैमस्टर के लिए प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र 1.5 वर्ग फुट से कम का नहीं होना चाहिए ।

- (क) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई बौने कद की प्रजातियों के लिए 36 इंच होगी । सभी अन्य हैमस्टर प्रजातियों के लिए प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 48 इंच होगी ।

- (ख) हैमस्टर और हिरनमूसा को केवल प्राथमिक बाड़ों में रखा जाएगा, जो टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृणनिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस फर्श का होगा और हैमस्टर के प्राथमिक बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी।
- (ग) उन्हें अन्य विद्वेषी पशु प्रजाति, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

7. चूहों के लिए—

- (क) प्रत्येक चूहे के लिए प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र 1.0 वर्ग फुट से कम का नहीं होगा।
- (ख) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 8 इंच होगी।
- (ग) चूहों को केवल जालीदार प्राथमिक बाड़ों में रखा जाएगा, और उनके बाड़े का फर्श जालीदार और छीलन वाला होगा।
- (घ) वजन में 500 ग्राम से अधिक के चूहों के लिए न्यूनतम ऊंचाई तथा स्थान अपेक्षाएं व्यष्टिक आधार पर अवधारित की जाएंगी और ऊपर विनिर्दिष्ट ऊंचाई तथा स्थान से अधिक होगी।
- (ङ.) चूहों को अन्य विद्वेषी पशु प्रजातियों, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

8. मूषकों के लिए—

- (क) प्रत्येक मूषक के लिए प्रदान किया गया क्षेत्र 1 वर्ग फुट से कम का नहीं होगा।
- (ख) प्राथमिक बाड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 6 इंच होगी।
- (ग) मूषक को केवल प्राथमिक बाड़ों में रखा जाएगा, जो टाइल, बोर्ड, अच्छी क्वालिटी का लिनोलियम, अनुपचारित तृणनिर्मित चटाइयों या एक्राइलिक न फिसलने वाले भूपृष्ठ, जैसे ठोस फर्श का होगा और उनके बाड़े के फर्श में कभी भी जालीदार तार, स्टील और छीलन नहीं होगी।
- (घ) मूषकों को अन्य विद्वेषी पशु प्रजातियों, जैसे बिल्लियों और कुत्तों के निकट नहीं रखा जाएगा।

[फा. सं. 1/1/2010-एडब्ल्यूडी (पार्ट)]

मंजू पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

G.S.R.844(E).—Whereas the draft Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2016 were published, as required under sub-section (1) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), vide the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change notification number G.S.R. 1152(E), dated the 16th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th December, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 16th December, 2016;

And whereas, objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (b) “Animal Welfare Organisation” means a welfare organisation for animals recognised by the Board;
- (c) “breeder” means an individual or group of persons who own pet animal for breeding and sale, and includes a boarding kennel operator, intermediate handler and trader;
- (d) “certificate of registration” means a certificate of registration issued under these rules;
- (e) “Farm” means a Farm contained in the First schedule;
- (f) “infirm animal” means any animal that is suffering from any functional or physiological disorder, defect or disability, or any deficiency from birth, or acquired after birth;
- (g) “inspector” means a veterinarian of the State Government authorised in writing by the State Animal Welfare Board or SPCA:
Provided that any person who is or has been a pet shop owner or breeder, or is related to a pet shop owner or breeder, shall not be authorised as an inspector under these rules;
- (h) “local authority” means a municipal committee, SPCA or other authority for the time being invested by law with the control and administration of any matter within a specified local area;
- (i) “mutilating” means subjecting an animal to a surgery or procedure such as ear cropping, tail docking or branding or otherwise performing a surgery or procedure to camouflage or hide any defect or infirmity except curative surgery;
- (j) “pet animal” includes dog, cat, rabbit, guinea pig, hamster, rodents of the rat or mice category, pet birds and such other type of animals, the ownership of, and trade in which, is not prohibited by any other law, rules or regulations;
- (k) “pet shop” means a shop, place or premises, including any shop, place or premises in a weekly or other market, where pet animals are sold or housed, kept or exhibited for sale, or where any retail or whole-sale business involving the selling or trading of pet animals are carried out, and includes online platforms over which the sale and purchase of pet animals is carried out wherever the context permits;
- (l) “pet shop owner” means any person who owns or has control over any pet shop;
- (m) “Schedule” means a Schedule annexed to these rules;
- (n) “SPCA” means Society for Prevention of Cruelty to Animals established in any district under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rule, 2001 made under the Act;
- (o) “State Board” means the State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government;
- (p) “un-weaned animal” means —
(i) the offspring of an animal that has not attained the age at which it normally acquires independent survival skills to meet its basic needs like food, warmth and safety; and
(ii) kittens and pups below eight weeks, and captive birds without mature flight feathers.
- (q) “veterinary practitioner” means a veterinary practitioner registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

(2) Word and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Prohibition of operating pet shops without registration.—(1) No person shall—

- (a) carry on or continue the business of sale or trade in pet animals, whether retail or wholesale; or

(b) establish or operate a pet shop, or any other establishment engaged in sale, purchase or exchange of pet animals by whatever name called,

without obtaining a certificate of registration in Form II:

Provided that any person operating a pet shop on the date of the commencement of these rules shall, within sixty days of such commencement, obtain a certificate of registration of pet shop under these rules:

Provided further that if a person referred to in the first proviso fails to apply for the registration within such period of sixty days or is refused the registration for any reason specified in these rules, then, the State Board or Society for Prevention of Cruelty to Animals shall seal the shop, and confiscate the pet animals displayed or housed for sale and the pet animals so confiscated shall be handed over to as deemed fit by the magistrate under the provisions of section 29 of the Act, however, thirty days notice shall be given to the pet shop owner before confiscation of the pet animals from the date of expiry of such period of sixty days or from the date on which the registration has been refused.

(2) Every pet shop owner shall prominently display the certificate of registration in the pet shop.

(3) Every pet shop owner shall keep the pet shop open for inspection by an inspector authorised in writing by the State Board or the Society for Prevention of Cruelty to Animals.

4. Registration of pet shop.—(1) A person shall not be eligible for registration of pet shop under these rules unless,—

(a) in the case of an individual, he has attained the age of majority and is of sound mind and is not disqualified from contracting under any other law for the time being in force; and

(b) in any other case, the person is a corporation, company or other association of persons duly registered in accordance with any law for the time being in force.

(2) An application for registration of pet shop shall be made to the State Board in Form-I providing all information required therein and accompanied with a non-refundable fee of five thousand rupees.

(3) A person shall be required to make separate applications for every pet shop or premises being used or intended to be used for carrying on or continuing the business of sale or trade in pet animals, whether retail or wholesale.

(4) Pet shop owner shall submit an affidavit with the application referred to in sub-rule (2) stating that all the conditions for registration of pet shop have been fulfilled.

(5) The State Board, on receipt of an application under sub-rule (2), may register the pet shop and issue a certificate of registration in Form II to the applicant in respect of that pet shop, and the state Board shall maintain a Register of certificate of registration in Form III.

(6) The State Board shall, after registration of pet shop under sub-rule (5), cause the pet shop to be inspected by an authorised veterinarian of the State Government within a period of three months.

(7) The veterinarian referred to in sub-rule (6) shall after making inspection submit a signed report to the State Board.

(8) The State Board may, after considering the report of the veterinarian and on being satisfied that the pet shop complies with the requirements specified under these rules, continue the registration of pet shop.

(9) The State Board shall not permit continuation of registration of pet shop, if—

(a) the information submitted by the applicant has been found to be false or the applicant has made material and deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the State Board; or

(b) the applicant has, at any stage prior to submission of his application for registration of pet shop, been convicted of any offence under the Act, or the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force; or

(c) the applicant has refused to allow the inspector or the representative of the State Board authorised in writing, free and unimpeded access to his facilities; or

(d) the applicant was operating a pet shop without a valid certificate of registration, and failed to apply for the same resulting in sealing of his shop.

(10) Where the State Board does not permit the registration of pet shop, the State Board shall inform the applicant in writing the reasons thereof within thirty days from the date of receipt of inspection report by the State Board.

(11) A certificate of registration issued by the State Board shall be valid for a period of five years, and may be renewed upon an application being made to the State Board together with a fee of five thousand rupees.

(12) A certificate of registration issued under these rules shall be non-transferable.

(13) Notwithstanding anything in these rules, the following persons shall not require a license under these rules, namely:—

- (a) an animal shelter operated by or on behalf of a local authority, or an Animal Welfare Organisation registered with the Board;
- (b) any other facility or establishment that operates for the welfare of animals, and is not engaged in commercial activity such as sale and purchase of animals;
- (c) an establishment registered with the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), and coming under the purview of the Breeding of and Experiments on Animals (Control and Supervision) Rules 1998 as amended from time to time for the purpose of experiments, breeding and trading of animals, and shall be exempted from these rules.

5. Renewal of registration.—An application for renewal of registration of pet shop shall be made, at least thirty days prior to the expiry of the registration, to the State Board in the Form-I and the provisions of rule 4 shall *mutatis mutandi* apply.

6. Accommodation, infrastructure and housing.—(1) A pet shop shall be located within a permanent structure or building, with adequate arrangement for basic amenities such as water and electricity, and adequate power back up.

(2) No person shall be allowed to operate a pet shop on a shanty, shack, pavement or any temporary or make shift arrangement.

(3) The enclosures or rooms or aviaries in a pet shop in which the pet animals for sale are displayed or housed shall be of adequate size and space as set out in the Second Schedule, so as to permit—

(a) the pet animal housed therein to stand, sit, lie down, turn around, stretch and make other normal postural adjustments without obstruction, interference or impediment occasioned by paucity of space;

(b) the birds within to fly, hop, jump, climb and otherwise move about, and individually spread their wings, and perch in normal position without obstruction, interference or impediment occasioned by paucity of space, and the water birds shall be provided water troughs to wallow.

(4) The floor of the enclosure or room for displaying or housing pet animals for sale shall be constructed such that no injury to the animals' feet, or legs, or any other injury is caused to them, however, wherever mesh floors are used, a tray shall be provided to avoid any organic matter falling into the cages below in case of stacking.

(5) The temperature at the enclosures or rooms or aviaries in which pet animals are displayed or housed for sale shall be comfortable, which may vary from animal to animal, and from breed to breed, and it shall be incumbent upon the pet shop owner to familiarise himself with the requirements of the breeds or species that he intends to deal in, and provide ambient and comfortable temperature for them.

(6) Every pet shop owner shall provide in the pet shop and particularly, in the enclosures or rooms or aviaries in which the pet animals are displayed or housed for sale, suitable drainage or a way to quickly eliminate waste and water when cleaning.

(7) Every pet shop displaying or housing pet animals for sale shall—

(a) be adequately ventilated and a low noise exhaust fan or system shall be installed;

(b) be free from noise pollution, and shall not be adjacent to areas where loud noises can be heard, or noxious fumes and odors emitted, including factories and other similar industrial establishments;

(c) not be located within the vicinity of hundred meters from butcher shops, or butcheries, or abattoirs, and entry of other animals that may disturb or harm the pet animals housed or exhibited for sale in pet shops shall not be allowed;

(d) install and make smoke-detection and fire-fighting equipment available and ready for use at the pet shop; and

(e) have an isolated or quarantine area where pet animals infected with a contagious disease or suspected of being infected can be segregated from the rest of the animals intended for sale.

7. General care of animals, veterinary care and other operational requirements.—

(1) Every pet shop owner shall ensure that pet animals are at all times displayed or housed for sale in accommodation and environment suitable to their species with respect to situation, size, temperature, lighting, ventilation and cleanliness, and other similar standards and no pet animals or birds shall be on display, or displayed outside pet shops, or in show windows.

(2) Every pet shop owner shall ensure that—

(a) sufficient food of a type consistent with the dietary requirements and age of the pet animals intended for sale is provided to them;

(b) clean drinking water is available to the pet animals intended for sale at all times;

(c) vessels used for feeding and watering of pet animals are kept clean and free from contamination of excrement or urine;

(d) the enclosures or rooms or aviaries in which pet animals for sale are displayed or housed are cleaned daily or more often, if found to be soiled by excrement or other waste, and disinfected frequently to preclude the possibility of outbreak of disease;

(e) where accommodation is on a tiered system, water, food or other droppings are not allowed to enter the lower housing;

(f) food wastes, animal excreta, used bedding, debris and any other organic wastes are removed daily, or more frequently, from the animal enclosures;

(g) aviaries are cleaned daily, or more frequently, to prevent buildup of bird wastes and uneaten food;

(h) the enclosures or rooms or aviaries in which pet animals for sale are displayed or housed are such as enable them to move about freely, or rest comfortably, and the pet animals requiring bedding material are provided the same, and no feed is allowed to mix in the bedding;

(i) all pet animals displayed or housed in the same enclosure are of the same species and age group and are grouped in a manner that precludes mating or bullying and fighting;

(j) pet animals that are inimical to each other are not displayed or housed in abutting enclosures, and dogs and cats are not kept adjacent to each other, and birds, rabbits, guinea pigs, hamsters, and rodents are not kept adjacent to dogs and cats, since the same can cause acute stress;

(k) only healthy pet animals, certified in writing by a veterinary practitioner as being so, are offered for sale at the pet shop; and

(l) pet animals for sale are not left in the pet shop at night without sufficient number of attendants to attend to them.

(3) A pet shop shall not display or house pregnant animals or mothers caring for un-weaned young for sale or offer them for sale.

(4) No pet shop shall sell any animal intended to be used for food, skin or accessories except insects or some species of animals that are not used for human consumption but used as food for other animals.

(5) Every pet shop owner shall—

(a) employ only such persons as are trained for handling or taking care of pet animals, and shall not employ any person who is of unsound mind or displaying signs of aggressive or abnormal behavior or whose temperament does not seem suited for working with animals; and

(b) have sufficient dedicated staff at the pet shop to take care of, and attend to pet animals properly.

(6) Every pet shop owner shall make provision for veterinary care, including emergency medical care, and display at a conspicuous place in the pet shop the emergency contact information of the veterinary practitioner so as to allow the employees and customers access to the veterinary practitioner, with their concerns regarding the health of the pet animals at the facility.

(7) The pet shop owner shall immediately report the outbreak or suspected outbreak of any zoonotic or contagious disease or infection to the local authority, the SPCA, the State Board and the State Government Department responsible for Animal Husbandry.

(8) Every pet shop owner shall provide at least one room or enclosure for quarantining sick or diseased pet animals, or pet animals suspected to be sick or diseased, or segregating newly acquired pet animals and ensure that—

(a) quarantined sick or diseased pet animals are not kept together with newly acquired pet animals;

(b) the quarantine or isolation facility is cleaned and disinfected thoroughly after quarantined or isolated pet animals have been removed from the same, and prior to the placement of additional pet animals into the room or enclosure; and

(c) the equipment and vessels used at the quarantine or isolation facility are kept separate and distinct.

(9) Every pet shop owner shall ensure that any pet animal that becomes incurably sick or terminally ill or mortally wounded is euthanised by a veterinary practitioner in the manner specified by the Veterinary Council of India, and maintain a record of such cases and report such instances to the State Board.

(10) Every pet shop shall have arrangement to dispose-off carcasses of pet animals that die at the facility, and dead animals shall be removed at the earliest from the sight of other pet animals.

(11) Every pet shop owner shall prominently display at the pet shop, the license granted to him for operating the facility.

(12) The species and numbers of pet animals, and the prices for which they are offered for sale shall be prominently displayed at the pet shop.

(13) Receipts shall be issued for every pet animal sold in Form IV and a copy of each receipt shall be retained at the pet shop.

(14) No pet shop shall sell pet animals with any form of mutilation, however, necessary curative surgery shall be exempted based on the prescription of the veterinarian.

(15) No pet shop shall sell un-weaned or underage animals or birds.

(16) Every puppy shall be micro-chipped by a veterinary practitioner, and each pet shop shall have a functional micro-chip reader within the premises and it is a requirement of these rules that only micro-chipped puppies shall be sold.

(17) Every pet shop owner shall have in place an appropriate written exercise plan for pups over sixteen weeks of age and for different species of animals, signed and certified by a veterinary practitioner, and ensure that the same is strictly adhered to.

(18) Every pet shop owner shall make efforts to ensure the adoption or re-homing of any pet animal that has not found a buyer despite three months having elapsed since it was first displayed for sale at the pet shop:

Provided that all particulars of adoption or re-homing of unsold animals shall be entered in a register to be kept at the pet shop:

Provided further that the pet shop owner shall not abandon or discard un-sold pet animal on to the streets or otherwise.

(19) If the pet shop owner intends to provide grooming services, the same shall be specifically mentioned in the application for grant of license, and the grooming area shall be physically separated from primary animal enclosures and animal food storage areas.

(20) Any and all items intended for sale, whether retail or whole-sale, including pet products and accessories, shall not be stored or displayed for sale in the animal areas within a pet shop.

(21) Every pet shop owner shall make available to customers free of charge at the time of purchase, pet care leaflets or other similar written instructions regarding the degree and manner of care, and regarding traits and behavioral patterns of the pet animal being purchased.

(22) No pet shop shall sell any pet animal to a person who has not attained the age of majority.

(23) Every pet shop owner and any person involved in the pet trade shall ensure that they provide the maximum care in the housing, upkeep and maintenance of the animals under their care and in their custody, and take all necessary precautions to protect them against fire, accidents, attacks from other animals, or other dangerous occurrences.

(24) Every pet shop owner shall engage a veterinary practitioner to check each animal in the pet shop and give a certificate of fitness once in every month or at anytime as informed by the pet shop owner on noticing any symptom of illness.

(25) No pet shop shall sell any pet animal acquired from a breeder unless the breeder is registered as required by the relevant rules in force.

(26) Adequate measures shall be taken by the pet shop owner to maintain health records including details of vaccination.

8. Maintenance of records.—(1) Every pet shop owner shall maintain in a record book in Form V, the particulars of breeders and suppliers of pet animals intended for sale, including name, address, contact details, and date of transaction, and the number of pet animals received, their breed or species, and bird band number if applicable.

(2) The pet shop owner shall maintain a record in Form VI of customers buying pet animals from him in a record book, with names, addresses, contact details, and the details of pet animal purchased, and the price at which purchased, and the receipt issued.

(3) Every pet shop owner shall maintain a record in Form VII of the pet animals that die at the pet shop, with the day, date and time of death, and cause of death certified by a veterinary practitioner, and details of the medical attention and care provided to the deceased pet animal prior to its death certified in writing by a veterinary practitioner, and manner of disposal of carcasses.

(4) Every pet shop owner shall maintain a separate record in Form VIII of the incurably sick or terminally ill or mortally wounded pet animals that are euthanised, with the day, date and time of death, and cause of death certified by a veterinary practitioner, and details of the medical attention and care provided to the deceased pet animal prior to its death, and manner of disposal of carcasses.

(5) The records maintained under this rule shall be available at the pet shop for inspection by the State Board or any intending purchaser.

9. Non-compliance with these rules.—(1) The State Board may, upon receipt of a written complaint or otherwise, inquire into or get the complaint inquired into in writing by the local authority or SPCA in order to establish the non-compliance of these rules by the pet shop owners.

(2) If during an inspection, a pet animal is suspected to be sick or experiencing any kind of distress then the inspector or any person, authorised by the State Board in writing to give a certificate of ill health may require the pet shop owner to provide medical attention to the sick animal and require the pet owner to submit health report within seven days post the inspection date, and after seven days, if the authorised inspector or person is not satisfied with the progress in the matter, he shall confiscate the pet animal, and remove it for treatment and care to a shelter house run by an Animal Welfare Organisation registered with Board having appropriate housing facility, after recording in writing the reasons why such action is necessitated, and giving a copy of the reasons so recorded to the pet shop owner and the Animal Welfare Organisation.

(3) The expenses incurred for treating and attending to the pet animal under sub-rule (2) shall be borne by the pet shop owner, and the Animal Welfare Organisation shall return the animal to the pet shop owner after the pet animal has recovered fully, and the expense for its treatment and the care provided has been reimbursed to the Animal Welfare Organisation.

(4) The pet shop owner shall not, in the event of removal of a sick or otherwise distressed pet animal under this rule, be entitled to claim any compensation whatsoever, from the State Board or the Animal Welfare Organisation.

(5) If any other violation of the requirements of these rules is discovered during an inspection of a pet shop by the inspector or person referred to in sub-rule (2), the State Board shall issue a notice to the pet shop owner to show cause within fifteen days of receipt of the notice, why his registration be not cancelled.

(6) The State Board may, if it is not satisfied with the response of the pet shop owner, or if no response is received, cancel the registration and communicate the reasons thereof in writing to the pet shop owner.

(7) The pet shop, the registration of which has been cancelled, shall not be sealed by the State Board—

(a) until the period for making appeal against such cancellation has expired; and

(b) in case where an appeal has been preferred and is pending, until the disposal of the appeal.

(8) Where the appeal has been rejected, the State Board may seal the shop, and confiscate the animals displayed or housed for sale and the confiscated animals shall then be dealt with in the manner set out in rule 3.

10. Inspection of establishment.—(1) The State Board may, either upon receipt of a complaint or for any other reason, cause any pet shop to be inspected by an inspector authorised in writing by it in this behalf.

(2) The inspector so authorised under sub-rule (1) shall, on producing his authority, have power to—

(a) enter into the pet shop at any reasonable time and access to all areas within the establishment and all animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;

(b) take pictures, record videos and make copies of the records.

(3) A pet shop registered under these rules shall be inspected at least once every year.

(4) The inspector shall submit to the State Board a report in writing of the inspection.

(5) If the State Board, after considering the report, is of the opinion that any requirements of these rules are contravened by the pet shop owner, it may, after giving a copy of the report to the pet shop owner and an opportunity to show cause, cancel the registration of the pet shop and communicate it the reasons thereof in writing to the pet shop owner.

11. Appeal.—(1) Any pet shop owner aggrieved by the decision of the SPCA or State Board may, within thirty days of receipt of the decision, prefer an appeal before the State Board against the decision of SPCA or Secretary, Animal Husbandry, State Government against the decision of State Board.

(2) The State Board or Secretary, Animal Husbandry, State Government, as the case may be, shall after giving notice to the pet shop owner and SPCA or the State Board as the case may be, and giving an opportunity of hearing to the parties, either reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing and communicated to the pet shop owner and SPCA or the State Board as the case may be.

12. Reports by pet shop.—(1) Every pet shop registered under these rules shall,—

(a) submit at the end of every year, a report to the State Board, consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded, exhibited, died or euthanised, during the previous year;

(b) provide to the State Board, such information as may be required by the State Board, as the case may be from time to time.

(2) the State Board shall send a consolidated report at the end of every year to the Board consisting of the information as to the total number of animals sold, traded, bartered, brokered, given away, boarded or exhibited during the previous year and any such other information as may be required by the Board, as the case may be, from time to time.

13. Effect of death of owner of pet shop registered under these rules.—In the case the owner of a pet shop registered under these rules dies before the expiry of the period of registration, the registration in respect of the pet shop shall be deemed to have been granted to his legal heirs in respect of that pet shop and shall remain valid till the end of a period of three months from the date of death of the owner and thereafter a fresh application for registration of the pet shop shall be made in accordance with these rules for continuing the pet shop.

14. No license without registration.—No pet shop shall be granted a license by the local authority, unless the pet shop has obtained a certificate of registration from the State Board in accordance with these rules.

15. Import of birds and animals.—Pet shop owner shall ensure that the suppliers who supply imported, exotic breeds of birds and animals are importing these animals after obtaining all necessary approvals or license or both from the Director General of Foreign Trade, Sanitary Import Permit and Permission from Regional or State Animal Quarantine and Certification Services, and the pet shop owner shall satisfy himself that the imports of live animals have been done through legal and appropriate channels.

16. Management of revenue received from pet shops.—The revenue received from the pet shops as registration and renewal fee shall be managed by the State Board for running their activities for enforcing these rules.

17. Delegation of powers.—The State Board may, by an order in writing, delegate any of its powers and functions under these rules (except under rules 11 and 12) to the Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA).

THE FIRST SCHEDULE

FORM-I

[See rules 4(2) and 5]

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION/RENEWAL

To

The State Animal Welfare Board

----- (name of the district and State)

Subject : Application for grant of license for Pet Shop

Sir,

I/We ----- r/o----- with office address -----

-----, do hereby apply for registration to operate/continue operating a pet shop, the particulars of which are set out below:—

1. Name and address of the pet shop:
2. Name and address of pet shop owner:
3. Telephone number (landline and mobile):
4. Details of accommodation and infrastructure available at proposed pet shop with photographs:
5. Working hours and rest day, i.e. day on which shop shall remain closed:
6. Ventilation arrangement:
7. Lighting arrangement:
8. Smoke-detection and fire fighting arrangement:
9. Heating or cooling arrangement, and manner in which comfortable temperature will be maintained for all pet animals:
10. Power back-up arrangement:
11. Arrangements for food storage:
12. Cleanliness, how proposed to be maintained, and arrangements for removal of animal excreta and waste:
13. Arrangement for disposal of animals that die:
14. Arrangement for medical and veterinary support:
15. Details of pet animals proposed to be displayed or housed in the pet shop for sale:
16. Details of cheque or demand draft number for payment of fee:

(ADDITIONAL INFORMATION PERTAINING TO THE FULL RECORDS OF THE PRECEDING YEAR TO BE PROVIDED IN APPLICATIONS FOR RENEWAL OF REGISTRATION)

17. Species and breeds of pet animals available for sale, and price at which offered for sale:
18. Age of each pet animal available for sale:
19. Records from the previous year of number of animals sold, prices at which sold, copies of receipts issued, animal deaths and all other records required by the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018 these rules to be maintained:
20. Audited balance sheets and profit and loss accounts:

I/We do hereby declare that the information provided herein is accurate and true.

Place:

Signature of Applicant

Date:

Form II

[Sec Rules 3(I) and 4(5)]

Certificate of Registration of Pet Shop

1. Certificate of Registration is granted to (name and address of applicant) to establish a pet shop as provided in the Prevention of Cruelty to Animals (Pet Shop) Rules, 2018.
2. The location of the pet shop is at
3. The owner of pet shop is permitted to deal with the following pet animals
4. The owner of pet shop shall abide by the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the rules and notifications made and issued thereunder.
5. The owner of the pet shop shall submit annual report in compliance with clause (a) of sub-rule(1) of rule 12 of the aforesaid rules for the year ending the 31st December to reach the undersigned before the 31st January of the succeeding year.
6. The Certificate shall be displayed prominently in the pet shop.
7. The Certificate is non-transferable.
8. The Certificate shall be valid up to five years from the date of issue of this Certificate and renewal application should be submitted thirty days prior to the expiry date.

Date:

Signature and Seal of

State Animal Welfare Board

Form III

[See rule 4(5)]

Register of Certificates of Registration issued to Pet Shops

Sl. No.	Name and address of applicant	Type of pet animals permitted to be sold
1	2	3

Date of Registration	Name of Local Authority	Remarks
4	5	6

Form IV

[See Rule 7(13)]

Receipt for Pet Animals sold

1. Name of the pet shop :
2. Number and date of Certificate of Registration :
3. Type of pet animal sold :
 - (a) Category
 - (b) Common name:
 - (c) Technical name:
 - (d) Breed:
 - (e) Age :
 - (f) Vaccination details:
4. Sale amount:
5. Name and address of purchaser :
6. Contact number of purchaser:

Place:

Signature of pet shop Owner

Date:

Stamp/Seal

Note: The above Certificate shall be in duplicate, the original to be given to the Purchaser and duplicate to be retained in the Pet Shop.

Form V

[See rule 8(1)]

Register of breeders and suppliers of pet animals

Sl. No.	Name and address of Breeder/Supplier	Contact number and e-mail	Date of transaction
1	2	3	4

Description of pet animal	Age of animal	Vaccination details	Remarks
5	6	7	8

Form VI

[See rule 8(2)]

Register of sale of pet animals

Sl. No.	Name and address of purchaser	Contact number	Sale amount
1	2	3	4

Type of pet animal sold						Remarks
Category	Common name	Technical name	Breed	Age	Vaccination	
5	6	7	8	9	10	11

Form VII

[See rule 8(3)]

Register of pet animals that die in pet shop

Sl. No.	Name and description of animal	Date and time of death of animal	Age
1	2	3	4

Cause of death	Medical treatment provided	How dead animal was disposed	Remarks
5	6	7	8

Form VIII

[See rule 8(4)]

**Register of details of pet animals which are incurably sick/
terminally ill mortally wounded**

Sl. No.	Date on which animal was incurably sick/terminally ill/mortally wounded	Name and description of animal	Age
1	2	3	4

Time of death	Cause of death	Medical attention provided	How dead animal were disposed	Remarks
5	6	7	8	9

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 6(3)]

MINIMUM SPACE REQUIREMENTS

1. FOR BIRDS.—

- (a) Birds shall be housed in large and spacious aviaries.
- (b) The aviaries shall be large enough to allow each bird full body extension, and wide enough to accommodate the fully stretched wings of all, and allow easy hopping, jumping, climbing and flight within the aviary.
- (c) Well-placed perches shall be provided within each aviary where the birds can stand upright without having head contact with any ceiling, and tail contact with the floor or grate, and for species such as finches and canaries that prefer flying or jumping to climbing, perches shall be positioned in a manner that allows the same.
- (d) Perches shall be strategically placed so as to prevent droppings from contaminating food and water vessels.
- (e) Birds that live in social groupings and are housed as such must have wooden nesting boxes constructed within the aviaries.

2. FOR CATS.—

- (a) The floor of the open enclosure or pen shall have a solid surface and should be large enough to enable all the occupants to exercise free movement and play.
- (b) Elevated resting surfaces must be provided for cats.
- (c) Matting must be provided.
- (d) Soft and clean play toys must be provided within the enclosure.
- (e) The space taken by the litter box shall not be included in the calculation of the total area.
- (f) Cats or kittens shall be kept in a room which is not shared by other, inimical animal species such as dogs.

3. FOR DOGS.—

Area (square feet)	Number of Animals		
	Small	Medium	Large
	(1-10 pound)	(11-20 pound)	(21-30 pound)
24	3	2	1
48	6	3	2
72	10	4	3

- (a) The floor of the open enclosure or pen shall have a solid surface and shall be large enough to enable all occupants to exercise free movement and play.
- (b) The height of the enclosure or pen shall be such that the dog or pup cannot escape.
- (c) Minimum height and space requirements for dogs weighing over thirty pounds shall be determined on an individual basis and shall be larger than the height and space specified above.

4. FOR RABBITS.—

Area (square feet)	Number of Animals		
	Small (less than 2 pound) expand)	Medium (2-4 pound)	Large (5-12 pound)
5	4	2	0
10	8	4	1
15	12	6	2

- (a) The minimum height of the primary enclosure shall be 48 inches.
- (b) The floor of the rabbit's primary enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings and it shall be solid surface such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface with arrangement for digging, chewing and playing.
- (c) Rabbits shall be kept in a room which is not shared by other, inimical animal species such as cats and dogs.

(5) FOR GUINEA PIGS.—

Area (square feet)	Number of Animals	
	Young (less than 350 grams)	Adult (above 350 grams)
5	5	2
10	10	4
15	15	6

- (a) The minimum height of the primary enclosure shall be 36 inches.
- (b) The floor of the guinea pigs' primary enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings and it shall be solid surface such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface.
- (c) Guinea pigs shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

6. FOR HAMSTERS.—

- (a) The area to be provided for each hamster must not be less than 1.5 square feet.
- (b) The minimum height of the primary enclosure shall be 36 inches for dwarf species. For all other hamsters species, the minimum height of the primary enclosure shall be 48 inches.
- (c) Hamsters and gerbils shall only be housed in primary enclosures with solid floor such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface and the floor of the hamster's primary enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings.
- (d) They shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

7. FOR RATS.—

- (a) The area to be provided for each rat shall not be less than 1.0 square foot.
- (b) The minimum height of the primary enclosure shall be 8 inches.
- (c) Rats shall only be housed in primary enclosures with mesh and have a mesh floor or wood shavings.
- (d) Minimum height and space requirements for rats over 500 grams in weight will be determined on an individual basis and shall be larger than the height and space specified above.
- (e) Rats shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

8. FOR MICE.—

- (a) The area provided for each mouse shall not be less than 1 square foot.
- (b) The minimum height of the primary enclosure shall be 6 inches.
- (c) Mice shall only be housed in primary enclosures with solid floor such as tile, board, good quality linoleum, untreated straw mats or acrylic non slip surface and the floor of their enclosure shall never be wire mesh, steel or shavings.
- (d) Mice shall not be kept adjacent to other inimical animal species such as cats and dogs.

[F.No.1/1/2010-AWD (Pt)]
MANJU PANDEY, Jt. Secy.